प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम दिनाँक 28.02.2026

थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0- 11/2026 धारा 318(4)/111(2)B BNS व 66(D) आईटी एक्ट में फर्जी एप डाउनलोड करवाकर शेयर मार्केट इनवेस्टमेंट आदि के माध्यम से साइबर ठगी कर विभिन्न लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 08 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 फोनपे साउंड बॉक्स, 02 फोनपे क्यूआर कोड, 05 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड, 18 एटीएम/डेबिट कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 01 कलर प्रिंटर, 01 पासबुक, 18 चेकबुक, फर्जी कंपनियों से संबंधित पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी कागजात, उद्यम रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज (ठगी से संबंधित कागजात), फर्जी कंपनियां—WALKAWAVE PRIVATE LIMITED, FOOTBAZAAR, COMFYWALKS—के अभिलेख, 01 रॉयल एनफील्ड मेटिओर 350CC मोटरसाइकिल, 01 मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार तथा 10 मोहरें बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23-02-2026 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी मुकुल पुत्र स्व0 श्री राकेश निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट से रुपये कमाने का लालच दिया गया। इसके पश्चात लिंक भेजकर फर्जी ऐप डाउनलोड कराई गई तथा निवेश के नाम पर वादी से विभिन्न खातों के माध्यम से कुल ₹16,19,000/- की धनराशि अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली गई। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0- 11/2026 धारा 318(4)/111(2)B BNS व 66(D) IT Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 11/2026 धारा 318(4)/111(2)B BNS व 66(D) आईटी एक्ट में फर्जी एप डाउनलोड करवाकर शेयर मार्केट इनवेस्टमेंट आदि के माध्यम से साइबर ठगी कर विभिन्न लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 08 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 फोनपे साउंड बॉक्स, 02 फोनपे क्यूआर कोड, 05 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड, 18 एटीएम/डेबिट कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 01 कलर प्रिंटर, 01 पासबुक, 18 चेकबुक, फर्जी कंपनियों से संबंधित पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी कागजात, उद्यम रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज (ठगी से संबंधित कागजात), फर्जी कंपनियां—WALKAWAVE PRIVATE LIMITED, FOOTBAZAAR, COMFYWALKS—के अभिलेख, 01 रॉयल एनफील्ड मेटिओर 350CC मोटरसाइकिल, 01 मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार तथा 10 मोहरें बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 03 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे सभी सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं तथा आपस में मित्र हैं। अभियुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वह अनुराग प्रसाद व निजाम के साथ मिलकर अलग-अलग फर्जी कंपनियां खोलते थे और विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे। उन्हीं फर्जी कंपनियों के खातों में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से धनराशि डलवाई जाती थी तथा फर्जी कंपनियों के सभी दस्तावेज उसके द्वारा तैयार किए जाते थे। अनुराग प्रसाद ने बताया कि उसके द्वारा कई फर्जी कंपनियां खुलवाई जा चुकी हैं तथा उनमें अनेक फर्जी करंट अकाउंट भी संचालित किए जा रहे थे। विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि वह भी फर्जी कंपनी खोलने के उद्देश्य से दिल्ली आया था और करंट अकाउंट खुलवाने में सहयोग करता था। अभियुक्तों फर्जी शेयर मार्केट वेबसाइट/ऐप बनाकर लोगों को अधिक लाभ का लालच देते थे और जब कोई व्यक्ति अधिक धनराशि निवेश कर देता था तो उसे ब्लॉक कर देते थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य में निजाम व सुदीप दास भी शामिल हैं, जो वर्तमान में दार्जिलिंग में रहकर ऐप, लिंक व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते थे

NCRP PORTAL पर प्राप्त अन्य शिकायतें-

अभियुक्तों के खाते में पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा संचालित NCRP PORTAL पर थाना साईबर क्राइम बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की शिकायते दर्ज है जो निम्न है-

1.एकनोलेजमेंट नंबर 23701260007527 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम जिला हैदराबाद सिटी राज्य तेलंगाना

2. एकनोलेजमेंट नंबर 23702260008712 पुलिस स्टेशन अमीनपुर जिला संगारेड्डी राज्य तेलंगाना

3. एकनोलेजमेंट नंबर 23702260009415 हैदराबाद सिटी तेलंगाना

4. एकनोलेजमेंट नंबर 30801260005744 दक्षिण पश्चिम दिल्ली

5. एकनोलेजमेंट नंबर 30802260009270 क्राइम ब्रांच दिल्ली

6. एकनोलेजमेंट नंबर 30802260012996 उत्तर पश्चिम दिल्ली

7. एकनोलेजमेंट नंबर 31102260028827 गांधीनगर गुजरात

8. एकनोलेजमेंट नंबर 31501260002466 त्रिशूर ग्रामीण केरल

9. एकनोलेजमेंट नंबर 33701260004568 राचकोंडा तेलंगाना

10. एकनोलेजमेंट नंबर 31501260002468 त्रिशूर ग्रामीण केरल

11. एकनोलेजमेंट नंबर 31601260017260 बेंगलुरु सिटी कर्नाटक

12. एकनोलेजमेंट नंबर 31602260019454 बेंगलुरु सिटी कर्नाटक

13. एकनोलेजमेंट नंबर 31902260026426 बृहन्मुंबई सिटी महाराष्ट्र

14. एकनोलेजमेंट नंबर 31902260026453 बृहन्मुंबई सिटी महाराष्ट्र

15. एकनोलेजमेंट नंबर 31902260033313 बृहन्मुंबई सिटी महाराष्ट्र

16. एकनोलेजमेंट नंबर 31902260036005 बृहन्मुंबई सिटी महाराष्ट्र

17. एकनोलेजमेंट नंबर 32402260004327 बलांगीर ओडिशा

18. एकनोलेजमेंट नंबर 32501260003326 एसएएस नगर पंजाब

19. एकनोलेजमेंट नंबर 33101260021842 कमिश्नरेट कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की फ्राड शिकायत दर्ज हैं कुल 4,63,48,294 (चार करोड़ तिरसठ लाख अड़तालीस हजार दो सौ चौरानवे) रुपये की शिकायतें दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.मोहित पुत्र अनिल कुमार निवासी बी/वन, सुकांता सोरानी सिलीगुड़ी बाजार, वार्ज नं0 26 सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।

2. अनुराग पुत्र परशुराम निवासी भगत सिंह रोड, संतोष नगर, सिलिगुड़ी, सिलिगुड़ी बाजार, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल।

3. विवेक कुमार पुत्र अशोक निवासी 6/396 पट्टी चौधरान, लक्ष्मीबाई प्राइमरी विद्यालय के पास, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल।

बरामदगी का विवरणः- पकड़े गए अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त

- 08 मोबाईल फोन आईफोन आदि।
- 01 लैपटॉप
- 18 एटीएम/डेबिट कार्ड ,
- 01 क्रेडिट कार्ड ,
- 02 ड्राइविंग लाइसेंस ,
- 05 पैन कार्ड,
- 01 कलर प्रिंटर व 01 फोनपे सॉउन्ड बॉक्स तथा 02 फॉनपे क्यूआर कोड
- 03 आधार कार्ड व 10 मोहर भिन्न-भिन्न कंपनियों की।
- 18 चैक बुक व 01 पास बुक
- हस्तलिखित कागजात ठगी से सम्बन्धित
- 01 मोटर साइकिल रॉयल एनफील्ड मिटिओर 350CC WB74BN8937
- 01 गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट RJ59CB1708
- फर्जी कंपनियों से संबंधित पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी कागजात, उद्यम रजिस्ट्रेशन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी, थाना प्रभारी साइबर क्राइम, जनपद बागपत।
2. निरीक्षक संतसरण सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत।
3. उ0 नि0 राघवेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत।
4. है0 का0 दीपक कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत।
5. है0 का0 दीपक बरार, थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत।
6. है0 का0 उमेश वर्मा,थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत।
7. का0 प्रशांत कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर ठगी गई सम्पूर्ण धनराशि 89,999.95/- रूपये को वापस कराये गये–

पीड़ित अजितेश पुत्र श्री शिखरचंद, निवासी ग्राम हजूराबाद गढ़ी, थाना सिंघवाली अहीर, जनपद बागपत द्वारा एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल पर Acknowledgement संख्या 33110250140088 के माध्यम से ₹89,999.95 की साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत को प्रेषित किया गया।

प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़ित को अपनी बातों में बहला-फुसलाकर ₹89,999.95 की धनराशि उसके खाते से धोखाधड़ी पूर्वक ट्रांसफर करा ली गई।

थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। संबंधित बैंक खाते, जिसमें धोखाधड़ी की धनराशि स्थानांतरित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कराया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए पीड़ित की समस्त ठगी गई धनराशि उसके खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई। धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित द्वारा थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	साइबर क्राइम	33110250140088	89,999.95/-

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम-

1-निरी० श्री दीक्षित त्यागी थाना प्रभारी साइबर क्राइम बागपत।

2-उ०नि० श्री नरेशपाल सिंह थाना साइबर क्राइम बागपत।

3-का० ललित मोरल थाना साइबर क्राइम बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक

28.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 121/26 धारा 132/121(1)/221/351(2)/191(2)/190/125 BNS व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.02.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. सौरभ पुत्र गिरिराज, 2. गिरिराज पुत्र भीमसिंह, 3. कर्मवीर पुत्र भीमसिंह, 4. सुन्दरम पुत्र कर्मवीर सिंह, 5.राम पुत्र दारा सिंह, 6.शिवम पुत्र गिरिराज व 7-04 महिला नामजद निवासीगण ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 8. भोलेराम पुत्र विजयपाल व 9-01 महिला नामजद निवासीगण ग्राम लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ तथा 8-10 महिलाऐं व 20-25 पुरूष अज्ञात निवासीगण ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर पुलिस हिरासत में पकडे संदिग्ध व्यक्ति सौरभ पुत्र गिरिराज निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को छुडा लिया गया व पुलिस के कार्य में बाधा डाली तथा पुलिस पर ईंट पत्थर से पथराव कर हमला किया गया व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे मौके पर अफरा तफरा मच गयी व जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 121/26 धारा 132/121(1)/221/296/351/191/190 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 121/26 धारा 132/121(1)/221/351(2)/191(2)/190/125 BNS व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

नोट- **उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पूर्व में अंकित धारा 351/191/125 बीएनएस को संशोधित करते हुए धारा 351(2)/191(2)/125 बीएनएस में तरमीम किया गया है। अतः प्रकरण की विवेचना अब धारा 132/121(1)/221/351(2)/191(2)/190/125 बीएनएस व 7 सीएलए के अंतर्गत संपादित की जाएगी।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भोलेराम पुत्र विजयपाल निवासी मौहल्ला लिसाडी गेट अम्बेडकर पार्क रोड थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3-का0 129 दुष्यन्त कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 28.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 123/26 धारा 03/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र मोमीन निवासी मोहल्ला मुगलपुरा नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 609/22 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 521/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 580/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4- मु0अ0सं0 103/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 538/24 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 925/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7-मु0अ0सं0 125/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

8-मु0अ0सं0 175/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 28.02.26

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 55/26 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हरबीर पुत्र लीलू निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-है0का0 218 धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 435 नवीन नागर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 28.02.26**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 32 पव्वे अवैध देशी शराब यू0पी0 मार्का व शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स UP-17R-2724 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 32 पव्वे अवैध देशी शराब यू0पी0 मार्का व शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स UP-17R-2724 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 53/26 धारा 60/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.सुशील पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बडा मौहल्ला कस्बा रटौल, थाना खेकड़ा जनपद बागपत

2. राजकुमार पुत्र सूरजपाल निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **32 पव्वे अवैध देशी शराब यू0पी0 मार्का**
- **01 मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स UP-17R-2724**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2.है0का0 886 अमित कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3.है0का0 897 जयवीर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।